भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-139

उत्तर देने की तारीख-03/02/2025

विद्यालयों में शिक्षकों का अभाव

139. **श्री बाल्या मामा सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि**:**

(क) देशभर में विशेषकर महाराष्ट्र में कितने विद्यालयों में शिक्षकों का अभाव है;

(ख) सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी विद्यालयों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कोई पहल की है और यदि हां**,** तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शोध कार्य को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय होने के कारण, देश के अधिकांश स्कूल राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनिक नियंत्रण में आते हैं। शिक्षकों की भर्ती, सेवा शर्तें और तर्कसंगत तैनाती संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अधिकार क्षेत्र में आती है। इसके अतिरिक्त, भर्ती एक सतत प्रक्रिया है और रिक्तियां कई कारकों जैसे सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, बढ़ी हुई छात्र संख्या के कारण शिक्षकों की बढ़ती आवश्यकता आदि के कारण उत्पन्न होती हैं। महाराष्ट्र राज्य सहित देश भर में शिक्षकों की कमी वाले स्कूलों की संख्या से संबंधित आंकड़े संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा अनुरक्षित किए जाते हैं।

यूडाइज़+ 2023-24 रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र राज्य सहित देश भर के स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों का विवरण https://www.education.gov.in/parl_ques पर अनुलग्नक में उपलब्ध है।

केंद्र सरकार केंद्र प्रायोजित समग्र शिक्षा योजना के माध्यम से समय-समय पर यथा संशोधित निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 में निर्धारित मानदंडों के अनुसार, स्कूल शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए उपयुक्त छात्र-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) बनाए रखने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आयोजित प्रतियोगी चयन परीक्षा के माध्यम से निरंतरता और शुचिता को ध्यान में रखते हुए शिक्षक रिक्तियों को भरने तथा प्रौद्योगिकी आधारित व्यापक शिक्षक आवश्यकता योजना और पूर्वानुमान प्रक्रिया के बाद, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा आवधिक रूप से उक्त के संबंध में प्रगति की समीक्षा की जाती है।

(ग): ग्रामीण क्षेत्रों सहित सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पीएम ई-विद्या नामक एक व्यापक पहल शुरू की गई है, जो शिक्षा तक बहु-मोड पहुंच को समर्थकारी बनाने के लिए डिजिटल/ऑनलाइन/ऑन-एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत करती है। पीएम ई-विद्या के अंतर्गत प्रमुख पहलें निम्नानुसार हैं: -

- दीक्षा (डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग) पोर्टल और दीक्षा मोबाइल ऐप - बड़ी संख्या में ई-पुस्तकों और ई-सामग्री का भंडार;
- स्व-गति से जीवन-पर्यन्त अधिगम के लिए स्वयम (युवा आकांक्षी मन के लिए सक्रिय वेब अध्ययन) पोर्टल;
- 200 पीएम ई-विद्या डीटीएच चैनल सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कक्षा 1 से 12 तक भारतीय भाषाओं में पूरक शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाएंगे;
- रेडियो, सामुदायिक रेडियो और सीबीएसई पॉडकास्ट–शिक्षा वाणी का व्यापक उपयोग;
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्लूएसएन) के लिए डिजिटली एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम (डेजी) और भारतीय सांकेतिक भाषा (आईएसएल) संबंधी विकसित विशेष ई-सामग्री;
- एनसीईआरटी द्वारा डीटीएच और यूट्यूब चैनलों पर प्रसारित डिजिटल सामग्री;

इसके अतिरिक्त, केंद्र प्रायोजित समग्र शिक्षा योजना के तहत ग्रामीण स्कूलों सहित स्कूलों में आईसीटी लैब और स्मार्ट क्लासरूम स्थापित करने के लिए योजना के मानदंडों के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(घ): विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शोध कार्य को बढ़ावा देने के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में □अनुसंधान और विकास प्रकोष्ठ की स्थापना□ के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 के प्रावधानों के

अनुरूप उच्च शिक्षा संस्थानों के भीतर अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित और सुदृढ़ करने के लिए एक मजबूत तंत्र स्थापित करना है। दिसंबर, 2024 तक यूजीसी के निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार 1,689 उच्च शिक्षा संस्थानों ने अनुसंधान एवं विकास प्रकोष्ठ स्थापित किए हैं। इसके अतिरिक्त, यूजीसी ने शोधार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहायता प्रदान करने के लिए यूजीसी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एनईटी)-जूनियर रिसर्च फेलोशिप (जेआरएफ) और सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले एकल बालिका फेलोशिप योजनाएं शुरू की हैं।

*****